

विषयक,

एच0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
3090 शासना।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
3090 लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी
उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

लखनऊ : दिनांक 21 अगस्त, 2015।

विषय- चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत अनुदान राक्या-17 में सामान्य वर्ग के लाभार्थियों हेतु जनपद-गाजियाबाद की 02 पुनरीक्षित परियोजना हेतु मूल्य वृद्धि के रूप में वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 4807/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2014-15, दिनांक 25 फरवरी, 2015 व पत्र संख्या-796/76/एक/आई0एच0एस0डी0पी0/मू0वृद्धि/2015-16, दिनांक 01 मार्च, 2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान राक्या-17 में आई0एच0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद-गाजियाबाद की नगर निकाय-डासना की 204 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 179 आवासों की 01 पुनरीक्षित परियोजना हेतु ₹0 491.93 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति सहित, प्रश्नगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप देय अन्तर की धनराशि ₹0 136.60 लाख तथा जनपद-गाजियाबाद की निकाय-डूडाहेड़ा की 1736 आवासों के सापेक्ष सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के 672 आवासों की 01 पुनरीक्षित परियोजना, जिसकी पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश संख्या-747/2015/663/69-1-15-1(बजट)/07, दिनांक 11 अगस्त, 2015 द्वारा जारी की जा चुकी है, हेतु प्रश्नगत परियोजना में हुई मूल्य वृद्धि के फलस्वरूप देय अन्तर की धनराशि ₹0 508.44 लाख अर्थात् संलग्न तालिका के स्तम्भ 11 में अंकित कुल ₹0 645.04 लाख (रूपये छः करोड़ पैंतालिस लाख चार हजार मात्र) को वित्तीय वर्ष 2014-15 में शासनादेश संख्या-405/2015/925/69-1-15-14(75)/2015, दिनांक 31.03.2015 द्वारा नगर निगम, लखनऊ में पी0एस0ए0 में संरक्षित धनराशि में से आहरित कर वित्तीय वर्ष 2015-16 में व्यय किये जाने का, श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-


1. उक्त धनराशि नगरीय रोजगार एवं गरीबी उपशमन विभाग, भारत सरकार के दिशा-निर्देशानुसार तथा शासना/प्रायोजनारचना एवं मूल्यांकन प्रभाग/व्यय वित्त समिति/राज्य स्तरीय समन्वय समिति द्वारा निर्धारित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन उपर्युक्तानुसार निहित मद में व्यय की जायेगी।

प्रमाण/अंशतुल्य

2. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वि.लीय.के.एम.संग्रह आर.रु.के अन्वय के प्रस्ताव 2018 में बंभोले राज.प.का अनुसार प्रयोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्यक प्राप्त कर ली जाये त.। सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
3. उक्त धनराशि का उपयोग उक्त परियोजना/प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिसके लिए वह स्वीकृत किया जा रहा है। किसी प्रकार का स्याक्वीज अनुमन्य न होगा तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित स्वतंत्र सीमा में परियोजनाएं पूर्ण गुणवत्ता व पारदर्शिता के साथ पूर्ण करायी जायेगी एवं किसी प्रकार का फास्ट एस्केलेशन अनुमन्य न होगा।
4. उक्त धनराशि बैंक के माध्यम से आहरण के पश्चात् राज्य नगरीय विकास अभिकरण द्वारा परियोजना सम्बन्धी सभी परिवर्तन का सक्षम स्तरीय निराकरण कराकर गुणवत्ता आदि विस्तृत संपूर्ण यथापेक्षित योजना निर्देशों के अनुपालन पर आरवस्त होकर, तत्काल सम्बन्धित हुए इकाई/उनके माध्यम से निर्माण इकाई को उपलब्ध करा दी जायेगी, जो अपने स्तर पर उक्त अनुसूचित सभी पहलुओं पर आरवस्त हो लेंगे।
5. उक्त परियोजना हेतु अंतिम किस्ता की धनराशि को सम्बन्धित सूडा/डूडा तथा उनके माध्यम से निर्माण इकाई को अवमुक्त लिये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में स्वीकृत धनराशियों को सम्मिलित करने के उपरान्त समस्त किस्तों की कुल धनराशि परियोजना लागत के सापेक्ष देय/अनुमन्य धनराशि से किसी भी दशा में अधिक नहीं होगी। अनुमन्य धनराशि से अधिक धनराशि के स्वीकृत होने की दशा में उक्त धनराशि को तत्काल राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त धनराशि का आहरण सचिव/निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ एवं सम्बन्धित डूडा द्वारा प्रमुख सचिव/सचिव अथवा विशेष सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी अनुमन्य कार्यक्रम विभाग के प्रतिहरताक्षरोपरान्त किया जायेगा।
7. प्रत्येक आहरण की सूचना महालेखाकार (राजकोष), महालेखाकार (लेखा), 30प्र0, इलाहाबाद का आदेश की प्रति के साथ कोषागार का नाम, बाऊचर संख्या, तिथि तथा लेखा शीर्षक की सूचना एक वर्ष के भीतर अवश्य उपलब्ध करा दी जाये।
8. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि को बैंक/ड्राफ्टर/डिपोजिट खाते व पी0एन0ए0 में नहीं रखी जायेगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार किया जायेगा तथा इसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाये। प्रथमतः आहरण/भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र व राज्य के करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा। सूडा द्वारा वित्त (माय.व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या बी-2-298/द.स-2012-244/2011, दिनांक 20.03.2012 के प्रस्तर-3/4 का समुचित अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9. परियोजना में सम्मिलित केन्द्रों व संघों एवं तालुकाओं की अनुमोदित की सीमा तक व्यय सुनिश्चित करने का दायित्व सूडा/ड्डा का द्वारा इसके अतिरिक्त परियोजनागत पूरे में अवमुक्त निशुल्क की धनराशि की गणना के सम्बन्ध में सूडा/ड्डा व्यवस्तुष्ट हो लेगी। यदि प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति से अधिक धनराशि अवमुक्त की जाती है तो द्वारा का पूर्ण उत्तरदायित्व सूडा/ड्डा का होगा।
10. परियोजनागत धनराशि व्यय करने में उपाय के बतल नैनुक्त के धरतर-12 में दी गयी शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मामलों का अनुपालन सूडा/ड्डा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
11. इस धनराशि का उपयोग धातु वित्तीय वर्ष 2014-15 में यथा कलेंडर अवश्य करा लिया जाय और इसके बाद उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन व भारत सरकार को समय से उपलब्ध कराया जाये। निर्धारित अवधि के बाद अनुपयोगित धनराशि यदि, कोई हो तो एकमुश्त शासन को वापस करनी होगी।
12. निदेशक/सचिव, राज्य नगरीय विकास अतिकरण, 3040, नारायण आहरण की वर्षान्त पर अपने लेखों का मिलान महालेखाकार के कार्यालय के लेखों से अवश्य करायेगी।
13. उक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित परेव्यय के अन्तर्गत होते एवं प्रश्नगत परियोजना की द्वाैरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, यह सूडा द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
14. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यवस्थापन सम्बन्धित विभाग कार्यदायी संस्था से एम0ओ0यू0 (अनुबन्ध) निष्पादित कराने के पश्चात सुनिश्चित करेगी। परियोजना से सम्बन्धित निर्माण इकाई से यथावश्यक अनुबन्ध (एम0ओ0यू0) किये जाने हेतु सूडा द्वारा सम्बन्धित सूडा को निर्देशित किया जायेगा।
15. योजना में अधिष्ठान व्यय की धनराशि वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-ए-2-23/दस-2011 74(4)/75/11, दिनांक 25.01.2011 में विहित व्यवस्था के अनुसार सुगत लेखा शीर्षक में जमा की जायेगी।
16. लेबर रोस की धनराशि का भुगतान श्रम विभाग को वास्तविक रूप से किया जायेगा।
17. प्रश्नगत परियोजना हेतु स्वीकृत की जाने वाली मूल्यवृद्धि की धनराशि अज्ञान होगी। भविष्य में उक्त परियोजना हेतु मूल्यवृद्धि के रूप में कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की जायेगी। अतः परियोजना का अवशेष कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त करने से पूर्व एत0एत0एत0एत0 (सूडा), यह सुनिश्चित कर लेगी कि स्वीकृत परियोजना में राज्यांश आवासीय इकाई के वित्त पोषण सम्बन्धी निर्गत शासनादेश संख्या- 1813/69-1-07 14(102)/07, दिनांक 06 अक्टूबर, 2007 एवं शासनादेश संख्या-1447/69-1-10 14(102)/07, दिनांक 22 जून, 2010 के अनुरूप है एवं भागणन सहित अन्य किसी कारण से अन्तर धनराशि, यदि कोई हो तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करेगी।

19. परियोजना से सम्बन्धित निम्नलिखित इनाइं से यथावश्यक अनुभाग (एमओडी/एच) प्राप्त करने हेतु सूझ द्वारा सम्बन्धित इनाइं को निर्देशित किया जायेगा।
 20. प्रथमवार परियोजना हेतु स्वीकृत धनराशि दिनांक 30/09/2015 से पूरा प्राप्त कर लिये जायेगा।
 21. भारत सरकार को वापस की जाने वाली केन्द्रांश की धनराशि को यथाशीघ्र भारत सरकार को वापस किया जाना सूझ सुनिश्चित किया जायेगा।
 22. सूझ द्वारा शासनादेश स0-मु0स0-29/69-1-14 14(62)/2013, दिनांक 05/11/2013 को पूरा अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या 2/2015/वी-1-925/स 2015/231/2015, दिनांक 30 मार्च, 2015 में प्राप्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।
संतुष्ट-यथोक्त।

भवदीय,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।
 a

संख्या-152/स0/663 (1/69-1-15-1(बजट/07 तद्विनांक।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, 20 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, 30प्र0, छठवा तल, संगम प्लेस, सिविल स्क्वायर इलाहाबाद।
4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, गाजियाबाद।
5. वित्त सहायक (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, 30प्र0 शासन।
6. नियोजन अनुभाग-4, 30प्र0 शासन।
7. नगर आयुक्त, नगर निगम, लखनऊ।
8. कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
9. वित्त नियंत्रक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, 30प्र0, लखनऊ।
10. सहायक वेब मास्टर, सूझ को विभागीय वेब साइट पर अपलोड कराने हेतु।
11. गार्ड फाइल/कम्प्यूटर सहायक/बजट समन्वयक।

आज्ञा से,

 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

(संशोधित मात्रा का में)

क्र.सं.	अवकाश/परियोजना का नाम	मूल लागत	समाप्त्य पर व-व्ययों के अन्तर्गत की राशियाँ	समाप्त्य पर व्ययों के अन्तर्गत की राशियाँ	समाप्त्य पर कुल व्यय	आवक/खर्च का अन्तर्गत का पत्रादेश	प्रीति/पत्रादेश	पत्रादेश के अन्तर्गत का पत्रादेश	पत्रादेश के अन्तर्गत का पत्रादेश	पत्रादेश के अन्तर्गत का पत्रादेश
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	परियोजना/नगर-204 का नाम	423.98	179	376.41	326.29	-	5670.1	131.91	467.39	136.61
2	परियोजना/इसके अन्तर्गत का नाम	1837.00	672	998.76	891.50	-	7131.80	1519.62	1400.04	508.44
	योग									645.04

(रुपये छः करोड़ पैंतालिस लाख चार हजार मात्र)।

(हस्ताक्षर)
 (एच0पी0 सिंह)
 विशेष सचिव।

शाहजहाँपुर डी.पी. नं. 159-1-15-1(ब.नं.007)